ई-मेल

संख्या-11/2025/759/एक-1-2025-1-1/255/2025-रा0-1

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2025**

विषयः- एमबी पावर (मध्य प्रदेश) प्रा0लि0 300 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु ग्राम-भौलोनीसूबा व ग्राम-लड़वारी तहसील-तालबेहट, जनपद-ललितपुर में विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व परिषद द्वारा धारा-89 के आवेदन हेतु विकसित किये गये ऑनलाइन पोर्टल पर संस्था के ऑनलाइन आवेदन पर जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा उपजिलाधिकारी तालबेहट (ललितपुर) की आख्या प्राप्त करते हुए दिनांक 25.10.2025 को मैसर्स एम0 बी0 पावर (मध्य प्रदेश) लि0 को 300 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु जनपद-ललितपुर, तहसील-तालबेहट के ग्राम-भौलोनीसूबा में 231 हेक्टेयर व ग्राम-लड़वारी में 7.69 हेक्टेयर (कुल 231+7.69=238.69 हेक्टेयर) अर्थात (589.802 एकड़) निजी भूमि क्रय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिस पर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद का अभिमत दिनांक 29.10.2025 उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-4 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में राज्यपाल महोदया मैसर्स एम0 बी0 पावर (मध्य प्रदेश) लि0 को 300 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना की स्थापना हेतु जनपद-ललितपुर, तहसील-तालबेहट के ग्राम-भौलोनीसूबा में 231 हेक्टेयर व ग्राम-लड़वारी में 7.69 हेक्टेयर (कुल 231+7.69=238.69 हेक्टेयर) अर्थात (589.802 एकड़) निजी भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) मैसर्स एम0 बी0 पावर (मध्य प्रदेश) लि0 को 300 मेगावाट क्षमता की सौर पावर परियोजना करने हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम भूमिधरों से आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि को विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2) यदि संस्था 89 की उपधारा-(4) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है, तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-98/99 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) आवेदक कंपनी अपनी आवश्यकता की भूमियों का क्रय इस प्रकार करे कि पठार/पहाड़ खाते की भूमि, कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमियों के मध्य न पड़े, क्योंकि पठार/पहाड़ खाते की भूमि सुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती है। यदि भूमि मध्य में आती है तो भूमि का किसी भी दशा में विनिमय नहीं किया जायेगा।

(7) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित भूमि का विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) संस्था द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित भूमियों के अधिकार, हित व स्वत्व की वैधता की जांच आधार वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/प्राधिकरणों/मा0 न्यायालयों/मा0 न्यायाधिकरणों आज के निर्णय/प्रावधान उक्त भूमियों, उन पर स्थापित संरचनाओं और कार्यकलापों पर लागू होगा।

(11) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था द्वारा क्रय की गयी उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(12) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रणवीर प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

(4) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स एम0बी0 पावर (मध्य प्रदेश) लि0, पता-239, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज-111, नई दिल्ली-110020

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कुलदीप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।